

बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/बजट-01/2016 :-

382

/क०, पटना, दिनांक 12/04/2018

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना।(+)

(+) अनौपचारिक रूप
से परामर्शित।

विषय-

राज्य योजना के अधीन वित्तीय वर्ष 2018-19 में सोनपुर मेला (कृषि प्रदर्शनी एवं कृषि शिविर) के आयोजन में 20 (बीस) लाख रुपये मात्र तथा राजगीर महोत्सव के आयोजन में (कृषि प्रदर्शनी एवं कृषि शिविर) के लिए 12 (बारह) लाख रुपये यानि कुल 32 (बत्तीस) लाख रुपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश

स्वीकृत।

महाशय,

राज्य योजना के अधीन वित्तीय वर्ष 2018-19 में सोनपुर मेला (कृषि प्रदर्शनी एवं कृषि शिविर) के आयोजन में 20 (बीस) लाख रुपये मात्र तथा राजगीर महोत्सव के आयोजन (कृषि प्रदर्शनी एवं कृषि शिविर) के लिए 12 (बारह) लाख रुपये यानि कुल 32 (बत्तीस) लाख रुपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- स्वीकृत राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 में सोनपुर मेला एवं राजगीर महोत्सव में कृषि विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष की भाँति कृषि प्रदर्शनी के आयोजन करने हेतु क्रमशः जिला कृषि पदाधिकारी, सारण तथा जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा के द्वारा समय-समय पर विभागीय निदेशों के अनुपालन में किया जायेगा। प्रदर्शनी के आयोजन के उपरान्त व्यय की गई राशि के अभिश्रवों/विपत्रों का बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभाग द्वारा गठित समिति से जाँच कराकर राशि का भुगतान किया जायेगा।
- बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।
- सोनपुर मेला के लिए स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, सारण (छपरा) होंगे तथा राशि की निकासी जिला कोषागार, छपरा से की जायेगी। राजगीर महोत्सव के लिए स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा होंगे तथा राशि की निकासी जिला कोषागार, नालन्दा से की जायेगी।

5. वर्ष 2018-19 में बजट शीर्ष एवं बजट उपबंध निम्न प्रकार से है :-

(राशि रुपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि		
		सोनपुर मेला	राजगीर महोत्सव	कुल
मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म- उपमुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-109- विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, मांग सं०-01 उप शीर्ष 0106- इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट, नई योजना, विपत्र कोड 01-2401001090106 विषय शीर्ष 0106.26.01 विज्ञापन एवं प्रकाशन।	5,60,25,000	16,60,000	9,96,000	26,56,000
मुख्य शीर्ष 2401- फसल कृषि कर्म उप शीर्ष 00, लघु शीर्ष 789- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना मांग सं०-01 उप शीर्ष 0106- इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट, नई योजना, विपत्र कोड 01-2401007890106 विषय शीर्ष 0106.26.01 विज्ञापन एवं प्रकाशन।	1,08,00,000	3,20,000	1,92,000	5,12,000
मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म उर्ष मुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना मांग सं०-01 उप शीर्ष 0134- इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट, नई योजना, विपत्र कोड 01-2401007960134 विषय शीर्ष 0134.26.01 विज्ञापन एवं प्रकाशन।	6,75,000	20,000	12,000	32,000
कुल	6,75,00,000	20,00,000	12,00,000	32,00,000

- इन योजनाओं के लिए कृषि निदेशक, बिहार, पटना सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
- योजना कार्यान्वयन में आवश्यकतानुसार प्रशासी विभाग द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।
- आवंटन एवं खर्च नियंत्रण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के परिपत्र सं० - 2561 दिनांक 17.04.1998 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3758, दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधानों के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में प्रधान सचिव, कृषि की स्वीकृति संचिका संख्या 3/बजट-01/2016 के पृ०सं० 13/प० पर दिनांक 23.03.2018 को प्राप्त है।
- वित्त विभागीय परिपत्र संख्या - 7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकर, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 3/बजट-01/2016 के पृ०सं० 15/टि० पर दिनांक 09.04.2018 को प्राप्त है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार कोषांग की डायरी सं० 61 दिनांक 26.03.2018 है।

विश्वासभाजन



10.4.2018

(सुधीर कुमार)

प्रधान सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।


ज्ञापांक 3/बजट-01/2016 382 /क०, पटना, दिनांक 12/04/2018
प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, वित्त विभाग / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


10.4.2018

प्रधान सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।


ज्ञापांक 3/बजट-01/2016 382 /क०, पटना, दिनांक 12/04/2018
प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी, सारण(छपरा) / जिला पदाधिकारी, नालन्दा / प्रमंडलीय आयुक्त, पटना एवं सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


10.4.2018

प्रधान सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।


ज्ञापांक 3/बजट-01/2016 382 /क०, पटना, दिनांक 12/04/2018
प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, छपरा एवं नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


10.4.2018

प्रधान सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।


ज्ञापांक 3/बजट-01/2016 382 /क०, पटना, दिनांक 12/04/2018
प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव / कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव / कृषि निदेशक, बिहार, पटना / विशेष सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना / उद्यान निदेशक, बिहार, पटना / निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना / निदेशक, बामेति, बिहार, पटना / आंतरिक वित्तीय सलाहकार / निदेशक, पी०पी०एम०, (कृषि विभाग) / उप निदेशक (शष्य), सूचना बिहार, पटना, कृषि विभाग, बिहार, पटना / जिला कृषि पदाधिकारी, सारण (छपरा) / जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा / मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण / बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


10.4.2018

प्रधान सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3/बजट-01/2016 382 /क०, पटना, दिनांक 12/04/2018
प्रतिलिपि : उप निदेशक (शष्य), सूचना / आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारी एवं कोषागार पदाधिकारियों को ई-मेल से भेजने हेतु प्रेषित।


10.4.2018

प्रधान सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।